

उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में

श्री न्यायाधीश एस० के० मिश्रा, ए०सी० जे० और
श्री न्यायाधीश अलोक कुमार वर्मा, जे।

आय कर आवेदन संख्या 05/ 201220 मई 2022

मध्ये:

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण.....अपीलकर्ता। और।

अतिरिक्त आयकर आयुक्त और अन्य

....प्रत्यार्थी ।

के साथ

आय कर आवेदन संख्या। 2012 के 06 के बीच:

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण.....अपीलकर्ता।और।

अतिरिक्त आयकर आयुक्त

.... प्रत्यार्थी ।

अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता : श्री विनय गर्ग और श्री राहुल
कौनसल, विद्वान अधिवक्ता

प्रत्यार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता: श्री हरि मोहन भाटिया, विद्वान
अधिवक्ता।

विद्वान अधिवक्तगण को सुनने पर, न्यायालय ने निम्नलिखित किया

सामान्य निर्णय:(द्वारा श्री न्यायाधीश एस० के० मिश्रा, ए० सी० जे०)

चूंकि उपरोक्त आयकर अपीलों में विधि एवं तथ्यों के सामान्य प्रश्न
निहित हैं, इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है और इस सामान्य निर्णय

द्वारा निर्णय लिया जा रहा है।

2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206ए के तहत दायर इन अपीलों को विधि के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए स्वीकार किया गया था:-

"क. भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 के अधीन, क्या 'राज्य' में सांविधिक प्राधिकारी, विशेष रूप से वे जो संविधान के भाग-IV के अधीन राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अधीन परिकल्पित राज्य दायित्वों में से किसी एक के प्रभावी बर्खास्तगी के लिए विशेष रूप से गठित किए गए हैं, सम्मिलित होंगे?

ख. चाहे शुल्क, प्रभार, कर आदि की प्रकृति में शुल्कों का संग्रह। एक अधिनियम द्वारा से राज्य द्वारा लगाया गया, अर्थात् U.P. वैधानिक प्राधिकरणों (मौजूदा मामले में अपीलार्थी विकास प्राधिकरण) द्वारा शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973 को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर लगाए जाने वाले ऐसे प्राधिकरण की आय कहा जा सकता है?

ग. क्या विकास प्राधिकरण (मौजूदा मामले में अपीलार्थी) द्वारा लेवी के निर्दिष्ट शीर्षों के तहत प्राप्तियों की राशि उत्तर प्रदेश सरकार (G.O.) के आदेशों के तहत एक अलग खाते में एकत्र की जानी है। दिनांक 15.01.1998, जैसा कि उत्तराखंड राज्य द्वारा अपनाया गया है) और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार सख्ती से आवासीय अवसंरचना के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा गठित की जाने वाली समिति द्वारा से खर्च किया जाना, विकास प्राधिकरण की आय से बाहर होने के लिए शीर्षक को ओवरराइड करके आय के डायवर्जन के सिद्धांत द्वारा शासित होगा।"

3. दोनों मामलों के तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का मूल्यांकन निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए आयकर हेतु किया गया था। निर्धारिती ने अपील के दो आधार उठाए। इसने दलील दी थी कि सी. आई. टी. (अपील) को यह अभिनिर्धारित करना चाहिए था कि पूर्व अवधि समायोजन कटौती योग्य नहीं थे। आकलन वर्ष 2006-07 में इस तरह का आधार नहीं उठाया गया था। निर्धारिती ने शून्य आय की घोषणा करते हुए

23.01.2007 को आय विवरणी दाखिल की। विवरणी को अधिनियम की धारा 143 (1) के अधीन 14.02.2007 को संसाधित किया गया था और निर्धारिती के मामले को जांच मूल्यांकन के लिए चुना गया था और अधिनियम की खंड 143 (2) के अधीन एक नोटिस 26.03.2007 को जारी किया गया था जो निर्धारिती को 29.03.2007 को प्राप्त हुआ था। उक्त सूचना के जवाब में, निर्धारिती जरिए चार्टर्ड एकाउंटेंट उपस्थित हुआ। विद्वान निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 142 (1) और 143 (2) के तहत नोटिस के साथ 16.09.2008 को एक प्रश्नावली जारी की। खातों की जांच करने पर, विद्वान मूल्यांकन अधिकारी ने पाया कि निर्धारिती ने एक "बुनियादी ढांचा कोष" बनाए रखने का दावा किया था जिसमें उसकी प्राप्तियों का एक निश्चित हिस्सा जमा किया जाता है और जिसमें से बुनियादी ढांचे से संबंधित खर्च किए जाते हैं। निर्धारण वर्ष 2006-07 में इस खाते में जमा की गई राशि केवल Rs.11,63,38,117/- है। निर्धारिती ने विकास के लिए केवल Rs.3,14,12,303/- का व्यय किया था। विद्वान मूल्यांकन अधिकारी ने इस राशि की अनुमति दी है। Rs.8,49,25,814/- की शेष राशि के संबंध में निर्धारिती द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि इन प्राप्तियों पर राज्य सरकार का एक अधिप्रवाह अधिकार है और इसलिए, वे कुल आय का हिस्सा नहीं हैं मूल्यांकनकर्ता। विद्वान निर्धारण अधिकारी ने शीर्षक को ओवरराइड करके आय के डायवर्जन के संबंध में निर्धारिती की बहस को खारिज कर दिया और Rs.8,49,25,814/- का जोड़ किया। विद्वान आकलन अधिकारी ने आगे पाया कि आय और व्यय खाते में Rs.1,18,12,436/- का घाटा है। उन्होंने निर्धारिती की कुल आय की गणना करते समय इस घाटे की अनुमति दी। हालांकि, उन्होंने Rs.61,11,000/- के पूर्व अवधि के खर्च की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार, निर्धारण वर्ष 2006-07 में निर्धारिती की आय Rs.7,92,24,3789/- निर्धारित की गई है।

4. इसी प्रकार, निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए, निर्धारिती ने 31.10.2007 को शून्य आय की घोषणा करते हुए अपनी आय विवरणी दाखिल की। इसी प्रक्रिया को उक्त निर्धारण वर्ष के लिए अपनाया गया था, और Rs.20,28,01,927/- का एक और मूल्यांकन केवल उक्त निर्धारण वर्ष के लिए किया गया था।

5. निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई से असंतुष्ट, निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (अपील) [इसके बाद "सी. आई. टी. (ए)" के रूप में संदर्भित] के समक्ष अपील में मामला उठाया। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी कार्यालय जापन के साथ-साथ U.P. के प्रावधानों को भी ध्यान में रखा। शहरी, योजना और विकास अधिनियम, 1973, जिसने निर्धारिती को अस्तित्व में लाया। एक विस्तृत विश्लेषण के बाद, विद्वान प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने पाया कि कोई ओवरराइडिंग नहीं है। राज्य सरकार द्वारा अभिकथित अवसंरचना निधि खाते पर अधिकार, और यह राशि निर्धारिती की आय में शामिल की जानी चाहिए। सी. आई. टी. (ए) ने आगे कहा कि निर्धारिती एक निगमित निकाय है। इसे राज्य सरकार का दर्जा प्राप्त नहीं है जो कराधान से मुक्त है। तदनुसार, दोनों निर्धारण वर्षों में निर्धारिती की अपीलों को खारिज कर दिया गया है। सी. आई. टी. (ए) द्वारा पारित ऐसे दोनों आदेशों को आयकर अपीलीय अधिकरण (दिल्ली शाखा 'ई' नई दिल्ली) के समक्ष फिर से चुनौती दी गई। अधिकरण, विधि के प्रावधानों की सावधानीपूर्वक चर्चा के साथ-साथ विभिन्न कानूनों के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने निर्धारिती की अपीलों को खारिज करने में विधि की कोई त्रुटि नहीं की। इन अपीलों में इस तरह के आदेश का उल्लेख किया गया है।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय गर्ग का तर्क है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 के प्रावधान, विशेष रूप से खंड 17, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, U.P. शहरी, योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 58 के प्रावधान से अलग है, जैसा कि उत्तराखंड राज्य पर लागू होता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के तहत एक अलग खाते में एकत्र किए जाने वाले शुल्कों के निर्दिष्ट शीर्षों के तहत विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त राशि, जो की G.O. दिनांक 15.01.1998, जैसा कि उत्तराखंड राज्य द्वारा अपनाया गया है, राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार सख्ती से आवासीय अवसंरचना के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा गठित एक समिति द्वारा से राज्य सरकार द्वारा व्यय किया जाता है, जो विकास प्राधिकरण की आय से बाहर होने के लिए शीर्षक को ओवरराइड करके आय के डायवर्जन के सिद्धांत द्वारा शासित होगा।

7. इसके विपरीत, राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरि मोहन भाटिया द्वारा यह तर्क दिया गया कि यह प्रश्न अब इस अर्थ में अनिर्णीत नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहले ही आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम भारत संघ, [2006] 153 **टैक्समैन 107 (एससी)** के मामले में उक्त प्रश्न का निर्णय कर चुका है। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही समाप्त कर दिया गया है, और इसलिए, इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं है।

8. अपीलकर्ता और राजस्व के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों को समझने हेतु, हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 को ध्यान में रखना होगा। संविधान का अनुच्छेद 289 किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट प्रदान करता है। हमें संविधान के अनुच्छेद 289 में उपयोग किए गए सटीक शब्दों को उत्कथन करना उचित लगता है, जो इस प्रकार हैं:-

"289. किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट राज्य की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट दी जाएगी।

(1) खंड (1) की कोई बात संघ को किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी प्रकार के व्यापार या कारबार या उससे जुड़े किसी संचालन या ऐसे व्यापार या कारबार के प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई या कब्जा की गई किसी संपत्ति या उसके संबंध में उपार्जित या उद्भूत होने वाली किसी आय के संबंध में, ऐसी सीमा तक, यदि कोई हो, कोई कर अधिरोपित करने या अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी, जो संसद विधि द्वारा उपबंध करे।

(2) खंड (2) की कोई बात किसी ऐसे व्यापार या कारबार या व्यापार या कारबार के किसी वर्ग को लागू नहीं होगी जिसे संसद विधि द्वारा सरकार के साधारण कार्यों के लिए आनुषंगिक घोषित करे।"

9. आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (उपर्युक्त) के मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 के साथ-साथ बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 की खंड 17 की व्याख्या के संबंध में एक समान प्रश्न उत्पन्न हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तर सं. 8 और

9 ने इस मामले को निपटाया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपयोग किए गए सटीक शब्दों पर ध्यान दें उचित है, जो इस प्रकार हैं:-

"8. अनुच्छेद 289 (1) के केवल अवलोकन से पता चलता है कि इसके तहत छूट का दावा इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि छूट का दावा किसी राज्य की संपत्ति और आय के संबंध में किया जाता है। एक बार जब यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि संपत्ति और आय राज्य की है, तो यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या यह अभी भी खंड के प्रावधान को देखते हुए कर योग्य है

(2) अनुच्छेद 289 जो प्रधानतः परन्तुक की प्रकृति का है। खंड (2) संघ को कोई भी कर लगाने का अधिकार देता है - किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी प्रकार के व्यापार या कारबार या उससे संबंधित किसी कार्यवाही के संबंध में संसद विधि द्वारा ऐसी सीमा का उपबंध करे। इस प्रकार, अनुच्छेद 289 के खंड (1) के अर्थ के भीतर राज्य की आय पर भी संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा कर लगाया जा सकता है, यदि ऐसी आय किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी भी प्रकार के व्यापार या व्यवसाय या उससे जुड़े किसी संचालन से प्राप्त होती है। अतः अनुच्छेद 289 का खंड (1) संसद को राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी भी प्रकार के व्यापार या व्यवसाय के माध्यम से अर्जित राज्य की आय पर कर अधिरोपित करने वाली विधि बनाने का अधिकार देता है।

9. यह सच है, जैसा कि श्री वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया है, कि खंड

(2) अनुच्छेद 289 संसद को राज्य द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी भी प्रकार के व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय पर कर अधिरोपित करने वाली विधि बनाने का अधिकार देता है। यह संसद को किसी राज्य की आय पर कर लगाने के लिए अधिकृत नहीं करता है यदि ऐसी आय अनुच्छेद 289 के खंड (2) द्वारा अनुध्यात तरीके से अर्जित नहीं की जाती है। हमारे विचार से, यह उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है जो इस अपील में हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है। अनुच्छेद 289 का खंड (2) यह मानता है कि संघ द्वारा कर की जाने वाली आय राज्य की आय है, लेकिन जिस प्रश्न का सिद्ध सीमा पर दिया जाना है वह यह है कि क्या अनुच्छेद

289 के खंड (1) के संदर्भ में, अपीलार्थी/प्राधिकरण की आय राज्य की आय है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974, विशेष रूप से उसकी खंड 17 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उक्त अधिनियम के तहत गठित अपीलार्थी/प्राधिकरण की आय उसकी अपनी आय है और अपीलार्थी/प्राधिकरण अपनी निधियों का प्रबंधन करता है। इसकी अपनी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ हैं। यह अपने नाम पर मुकदमा चलाना सकता है या मुकदमा किया जा सकता है। हालांकि, यह अनुच्छेद 289 के खंड (2) के विचार के भीतर कोई व्यापार या व्यवसाय नहीं करता है, फिर भी यह राज्य के विधानमंडल के एक अधिनियम के तहत गठित एक प्राधिकरण है, जिसका एक अलग कानूनी व्यक्तित्व है, जो एक निकाय है। निगमित, राज्य से अलग। अधिनियम की खंड 17 आगे स्पष्ट करती है कि इसके विघटन पर ही इसकी परिसंपत्तियाँ, निधियाँ और देनदारियाँ राज्य सरकार को हस्तांतरित की जाती हैं। इसलिए आवश्यक रूप से, इसके विघटन से पहले, इसकी परिसंपत्तियाँ, निधियाँ और देनदारियाँ इसकी अपनी हैं। इसलिए यह तर्क देना व्यर्थ है कि अपीलार्थी/प्राधिकरण की आय राज्य सरकार की आय है, भले ही प्राधिकरण का गठन राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम के तहत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके किया गया हो।"

10. उपरोक्त मामले को दृष्टिगत रखते हुए, जहां तक विधि का सारवान् प्रश्न 'क' और 'ख' का संबंध है, जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है, मामले का निपटारा किया जाता है।

11. आगे के लिए, संविधि के तहत सटीक शब्दों पर ध्यान देना उचित है, जो कि उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था, जो की बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 की खंड 17। यह निम्नानुसार है:-

"17. जब राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि जिस प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, वह पर्याप्त रूप से प्राप्त हो गया है, जिससे प्राधिकरण को जारी रखना

अनावश्यक हो जाता है, तो सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि प्राधिकरण को ऐसी तिथि से प्रभावी रूप से भंग कर दिया जाएगा जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए और प्राधिकरण को उक्त तिथि से तदनुसार भंग माना जाएगा और प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी संपत्तियां, निधियां और देय राशि अपनी देनदारियों के साथ राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी जाएगी।"

12. संबंधित प्रावधान पर ध्यान देना उचित है जो की -U.P. शहरी, योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 58 है। यह प्रवधानित करती है की -

"58. प्राधिकरण का विघटन।-

(1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि जिन प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, उन्हें पर्याप्त रूप से प्राप्त किया गया है ताकि राज्य सरकार की राय में प्राधिकरण के निरंतर अस्तित्व को अनावश्यक बनाया जा सके, वह सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि प्राधिकरण को ऐसी तारीख से प्रभावी रूप से भंग कर दिया जाएगा जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए; और प्राधिकरण को तदनुसार भंग माना जाएगा।

(2) उक्त तिथि से -

(a) सभी संपत्तियां, निधियां और देय राशि जो प्राधिकरण में निहित हैं या उसके द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, राज्य सरकार में निहित होंगी या उसके द्वारा प्राप्त की जा सकेंगी।

(b) प्राधिकरण के निपटान में रखी गई सभी नजुल भूमि राज्य सरकार को वापस कर दी जाएगी:

(c) प्राधिकरण के विरुद्ध प्रवर्तनीय सभी देनदारियां राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगी:और

(d) किसी ऐसे विकास को करने के प्रयोजन के लिए जो प्राधिकरण द्वारा पूरी तरह से नहीं किया गया है और खंड (क) में निर्दिष्ट संपत्तियों, निधियों और बकायों को प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण के कार्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।"

13. तुलना से यह प्रतीत होता है कि दोनों प्रावधान सार में समान हैं।

केवल, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 और U.P. में एक शब्द 'कब' है। शहरी, योजना और विकास अधिनियम, 1973, शब्द 'कहाँ' है। बाकी सब जहां तक U.P. शहरी, योजना और विकास अधिनियम, 1973 की खंड 58 की उपखंड (1) का संबंध है, समान है। लेकिन U.P. शहरी, योजना और विकास अधिनियम, 1973, की धारा 58 की उप-धारा (2) में एक और स्पष्टीकरण है, जिसमें प्रावधान का एक अन्य भाग शामिल है।

14. इस प्रकार, यह रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, U.P. शहरी, योजना और विकास अधिनियम, 1973 के तहत गठित किया गया था। एक अलग इकाई है और राज्य से अलग है, जिसकी अपनी कानूनी पहचान है। यह एक निगमित निकाय है। यह अपने नाम पर मुकदमा चलाना सकता है या मुकदमा किया जा सकता है। इसकी अपनी परिसंपत्तियाँ, देनदारियाँ हैं। लेकिन जब राज्य सरकार यह निर्णय लेती है कि विकास प्राधिकरण का उद्देश्य पूरा हो गया है और ऐसे प्राधिकरण को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वह इसे भंग करने का आदेश पारित कर सकती है। उस स्थिति में, प्राधिकरण की आय, परिसंपत्तियाँ, देनदारियाँ राज्य सरकार के पास निहित होंगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले ही इस मामले पर विचार कर लिया है, और हम, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई **टिप्पणियों का सम्मान करते हुए**, इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सारवान प्रश्न संख्या 'क' व 'ख' पहले से ही शामिल हैं, और इस मुद्दे पर पुनः व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

15. जहां तक सारगर्भित प्रश्न संख्या 'ग' का संबंध है, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एकत्र की गई राशि बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च की जा रही है, और शीर्षक को ओवरराइड करके आय के डायवर्जन के सिद्धांत के आधार पर, इसे आय से बाहर रखा जाना चाहिए।

16. हम यह स्पष्ट करते हैं कि सारवान प्रश्न संख्या के संबंध में पूर्व टिप्पणियाँ 'क' और 'ख' भी इस मुद्दे को भी समिलित करते हैं। विकास प्राधिकरण द्वारा अवसंरचना विकास के लिए एकत्रित किसी भी शुल्क को आय के रूप में माना जाएगा और अवसंरचना विकास के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय को आय से घटाया जाएगा, और शेष कर योग्य है, और वह

किया गया है, और वास्तव में, यह मुद्दा पहले और दूसरे अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष बिल्कुल नहीं उठाया गया था।

17. हम यहाँ यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि आई. टी. ए. टी. के समक्ष निर्धारिती द्वारा लिया गया एकमात्र आधार निम्नानुसार है:-

पीठ ने कहा कि तथ्यों और मामले की परिस्थितियों और कानून के आधार पर, नीचे दिए गए अधिकारियों ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती कि अपीलकर्ता का यह दावा कि बुनियादी ढांचे के योगदान के संबंध में ओवरराइडिंग टाइटल द्वारा डायवर्जन किया गया था, असमर्थनीय है।"

18. हालाँकि, इस न्यायालय के समक्ष इन अपीलों को दायर करके, निर्धारिती ने अपना मामला विकसित किया है, और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न सख्या 'ग', शामिल किया है और यह भी अपीलों को खारिज करने के लिए एक अच्छा आधार है।

19. इस प्रकार, मामले के तथ्यों और इस मामले में लागू विधि के साथ-साथ आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किए गए अनुपात के **संदर्भ में, हमारी राय है** कि इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं है, और इन्हें इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

20. इस आदेश की तत्काल प्रमाणित प्रति नियमों के अनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को जारी की जाए।

(एस0 के0 मिश्रा, ए0सी 0 जे0) और

(आलोक कुमार वर्मा, जे।)

तारीख: 20 मई, 2022

निशांत